



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./06/95/2016/एफ.सी. /79

दिनांक: 06-6-17

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ० प्र०।

विषय: आगरा-बाह-कचौरा घाट मार्ग के किमी० चैनेज 17.100 की बांयी पटरी पर ग्राम- कुण्डोल के खसरा संख्या- 1612 पर एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0750028 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-781/14-2-2017-800 (145)/2016, दिनांक- 05.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-21.09.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से प्रकरण से संबंधित आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार आगरा-बाह-कचौरा घाट मार्ग के किमी० चैनेज 17.100 की बांयी पटरी पर ग्राम- कुण्डोल के खसरा संख्या- 1612 पर एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0750028 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी०हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

[Signature]
3/4/17

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.32 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

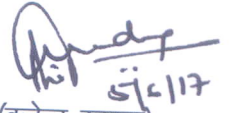
भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उ0 प्र0।
6. टेरीटरी सेल्स मैनेजर आगरा, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ0 प्र0।
7. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।



(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}